संख्या–1424/XXIV(4)/2019-01(28)/2016

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी, (नैनीताल)।

2. कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय (उच्च शिक्षा विभाग),
उत्तराखण्ड।

उच्च शिक्षा अनुभाग–4

देहरादूनः दिनांक 06 सितम्बर, 2019

विषयः– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2018 विषयक अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई, 2018 के अनुसार संशोधन अधिनियम को उत्तराखण्ड राज्य में लागू/अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2018 विषयक अधिसूचना सख्या–271, दिनांक 18 जुलाई, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हत तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय सम्बन्धी विनियम, 2018 जारी/निर्गत किया गया है।

2– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड राज्य में लागू/अंगीकार किये जाने हेतु शासन स्तर पर एक समिति गठित की गयी थी। इस समिति की संस्तुति के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2018 विषयक अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई, 2018 को संलग्न परिशिष्ट–'क' के अनुसार कतिपय संशोधनों के साथ उत्तराखण्ड राज्य में लागू/अंगीकार किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– कृपया उपर्युक्तानुसार अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त (परिशिष्ट–'क')।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्या–1424 (1)/XXIV(4)/2019-01(28)/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
7. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. कुल सचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय (केन्द्रीय) एवं समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपर्युक्तानुसार संशोधित विनियमों/नियमों के अन्तर्गत संगत परिनियमावली में आवश्यकतानुसार संशोधन कराने का कष्ट करें।
9. समस्त प्रबन्धक, अशासकीय महाविद्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा–निदेशक, उच्च शिक्षा।
10. गार्ड फाईल।

संलग्नक– यथोक्त (परिशिष्ट-'क')

आज्ञा से,

(शिव स्वरूप त्रिपाठी)
उप सचिव

Scanned with CamScanner

नियम	यू.जी.सी. अधिनियम, 2018	संशोधित नियम/विनियम
नियम–1.0	विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वरिष्ठ आचार्य, आचार्यों और शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मियों के पदों के लिए न्यूनतम अर्हताएं और ऐसे पदों से संबंधित वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों का पुनरीक्षण (व्याप्ति)	तदानुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–2	वेतनमान, वेतन निर्धारण और अधिवर्षता आयु	उप–नियम–2.0 व 2.2 को यथावत् अंगीकृत किया जाता हैं। पुनर्नियुक्ति संबंधी उप–नियम–2.1 राज्य सरकार के नियमों के तहत लागू किया जाता है।
नियम–3	नियुक्ति एवं अर्हतायें उप–नियम–3.1 से 3.12	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के उप–नियम–3.1 से 3.10 तथा 3.12 तद्नुसार अंगीकृत किया जाता है। उप–नियम–3.11 में अध्ययन अवकाश हेतु नियम राज्य में शिक्षकों हेतु निर्धारित अवकाश नियमों के अनुसार देय होगा।
नियम–4	सीधी भर्ती/अर्हतायें उप–नियम–4.1	कला, वाणिज्य, मानविकी, शिक्षा, विधि, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषाओं, पुस्तकालय विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और पत्रकारिता तथा जनसम्पर्क विधाओं के लिए सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य, विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य महाविद्यालय के प्राचार्य/आचार्य (प्राचार्य का ग्रेड) एवं उप प्राचार्य की अर्हतायें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के अनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–4	उप–नियम–4.2	संगीत, पर फार्मिंग आर्टस, विजुअल आर्टस और अन्य परम्परागत भारतीय कला स्वरूपों यथा शिल्पकला आदि के लिए सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य, की शैक्षिक अर्हता निर्धारित की गयी हैं जिनको तद्नुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–4	उप–नियम–4.3	नाट्य विद्या में सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य, की पात्रता एवं Academic Performance Indicators (APIs) निर्धारित की गयी है, इनको तद्नुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–4	उप–नियम–4.4	योग विद्या सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य, की पात्रता एवं Academic Performance Indicators (APIs) निर्धारित की गयी है, इनको तद्नुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–4	उप–नियम–4.5	पेशे से जुड़े रोजगरोपरक के शिक्षकों (सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य) के लिए अर्हता, अनुभव और अन्य पात्रता संबंधी योग्यता को

Scanned with CamScanner

		तद्नुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–4	उप–नियम–4.6	भौतिक चिकित्सा के शिक्षकों (सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य, प्राचार्य, निदेशक, संकायाध्यक्ष) की नियुक्ति के लिए अर्हता, अनुभव और अन्य पात्रता संबंधी योग्यता को तद्नुसार अंगीकृत किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के अनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–4	उप–नियम–4.7	विश्वविद्यालय के सहायक पुस्तकलयाध्यक्ष/पुस्तकालयाध्यक्ष/उप पुस्तकालयाध्यक्ष व महाविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता को तदानुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–4	उप–नियम–4.8	शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के सहायक निदेशक, उपनिदेशक एवं निदेशक (डीपीईएस) के पदों के लिए न्यूनतम अहर्ता हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के अनुभाग–4.8 के I/II/III & IV को तदानुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–5	उप–नियम–5.1। से 5.1 IV विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य,सह आचार्य, आचार्य, वरिष्ठ आचार्य की नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन।	वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के तहत इसमें निम्न आंशिक संशोधन के साथ अंगीकृत किया जाता है, 1–कुलपति, चयन हेतु गठित समिति का अध्यक्ष होगा। 2–कुलाधिपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद जो आचार्य से कम नहीं होगा। 3–वि0वि0 की विद्या परिषद/कार्यपरिषद द्वारा तैयार किए गए विषय विशेषज्ञों के पैनल में से कुलाधिपति द्वारा नामित तीन विषय विशेषज्ञ, 4–संकाय का संकायाध्यक्ष, 5–सम्बन्धित विभाग का विभागाध्यक्ष 6–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक/महिला/निशक्त श्रेणी से शिक्षाविद्, यदि इन श्रेणियों से संबंध रखने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक हो तो, और यदि उपरोक्त कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से संबंधित नहीं हो तो उसे कुलपति द्वारा नाम निर्देशित जाएगा। चयन प्रकिया में पूर्ण रूप से पारदर्शिता हेतु चयन समिति के विषय विशेषज्ञों का चयन विश्वविद्यालय की विद्या परिषद (Academic Council) के द्वारा प्रस्तावित कम से कम 7 विषय विशेषज्ञों, यथा सम्भव राज्य के बाहर, की सूची में से तीन को कुलाधिपति के द्वारा नामित किया जायेगा। यही प्रक्रिया सह आचार्य, आचार्य, वरिष्ठ आचार्य के स्तर पर होने वाली चयन प्रक्रिया में अपनायी जायेगी।

Scanned with CamScanner

नियम–5	उप–नियम 5.1 V,VI, VII, निजी और संघटक महाविद्यालयों सहित महाविद्यालयों में सहायक आचार्य (Assistant Professor) सह आचार्य (Associate Professor) आचार्य (Professor) के चयन संबंधी प्रकिया।	उत्तराखण्ड राज्य में निम्न चार प्रकार की शैक्षिक संस्थायें संचालित हैं:– 1. राजकीय विश्वविद्यालय। 2. राजकीय महाविद्यालय। 3. निजी सहायता प्राप्त महाविद्यालय। 4. निजी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय । उक्त हेतु निम्न संशोधन किये जाते हैं:– 1–कैम्पस महाविद्यालयों में इन पदों पर चयन प्रक्रिया उप–नियम–5-1 I से 5.1 IV के अनुसार किया जाता है। 2–राजकीय महाविद्यालय में चयन राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किया जा रहा है। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयन हेतु यूजीसी विनियम 2018 की तालिका–3 (ख) के अनुसार Academic Performance Indicators (APIs) लागू किए जाऐंगे। वह इस हेतु वह शिक्षकों की नियुक्ति सम्बन्धी सेवा नियमावली को भी अंगीकृत करेंगे। 3–नियम–5 के 1 के V:–निजी सहायता प्राप्त महाविद्यालय में गठित बोर्ड ऑफ गर्वनर्स/कार्य परिषद/प्रबन्ध समिति को सहायक आचार्य/सह आचार्य/आचार्य के चयन हेतु Academic Performance Indicators (APIs) तालिका–2, 3 (ख) को लागू करना होगा तथा चयन समिति का गठन यू0जी0सी0 विनियम 2018 की उपधारा 5.1–V के अनुसार किया जाता है, जिसमें उच्च शिक्षा निदेशक या उनके द्वारा नामित एक सदस्य भी होगा। 4–निजी विश्वविद्यालय के लिए Academic Performance Indicators(APIs) सरकारी विश्वविद्यालय के अनुसार होंगी (तालिका–3 'क') तथा विषय विशेषज्ञ कार्य परिषद के द्वारा नामित किया जायेगा। जिसमें एक सदस्य विजिटर द्वारा भी नामित होगा। 5–निजी संस्थान में Academic Performance Indicators (APIs) तालिका–2 एवं 3 'ख' के अनुसार होगी एवं चयन समिति का गठन 5.1 के उप–भाग V, VI VII के अनुसार, जैसा कि लागू होगा, तद्नुसार होगी।
नियम–5	उप–नियम 5.1 VIII महाविद्यालय प्राचार्य और आचार्य	निजी महाविद्यालय/गैर सरकारी राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में चयन प्रकिया सैक्शन 5.1 के VIII के 'क' एवं 'ख' के अनुसार समिति का गठन किया जाता है, जिसमें एक सदस्य निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा नामित और एक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के Alumni Association का सदस्य होगा। राजकीय महाविद्यालयों के लिए वर्तमान में राज्य में प्रचलित व्यवस्था लागू रहेगी। बशर्ते

Scanned with CamScanner

		कि राज्य सरकार 25 प्रतिशत पदों पर प्राचार्यों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से, सीधी भर्ती से नियुक्त कर सकती है। प्राचार्य हेतु पात्रता विनियम 2018 के उप–नियम 4.1 V के अनुसार होगी।
नियम–5	उप–नियम 5.1 IX शारीरिक शिक्षा, खेलकूद व पुस्तकालय के अधिकारियों के चयन हेतु प्रक्रिया	चयन समिति की प्रक्रिया तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–5	उप–नियम 5.1 X शारीरिक शिक्षा, खेलकूद व पुस्तकालय के अधिकारियों के सीएएस, पोन्नति हेतु चयन समितियों का गठन	सेक्शन 5.1 X में जो व्यवस्था की गयी है उसमें विश्वविद्यालय के लिए X 'क' की प्रक्रिया होगी।
		राजकीय महाविद्यालय में सेक्शन 5.1 के X के 'ख' की प्रक्रिया विभाग की सेवा नियमावली के अनुसार होगी।
		गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए एक सदस्य कुलपति एवं एक निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा नामित किया जायेगा।
		निजी महाविद्यालय मे 5.1 के X के 'ख' के अनुसार चयन समिति का गठन किया जाता है।
		5.1 के X के यथा प्रस्तावित 'क', 'ग' 'ड' को अंगीकृत किया जाता है। 5.1 के X के 'ख', 'घ' 'च' को गैर सरकारी/सरकारी के लिए अंगीकृत किया जाता है।
		निजी विश्वविद्यालय के लिए 5.1 के X के 'ख', 'घ' 'च' विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम के अनुसार अंगीकृत किया जाता है।
		राजकीय महाविद्यालय को छोड़कर उप नियम 5.2 की प्रक्रिया यू0जी0सी0 विनियम 2018 के अनुसार होगी। राजकीय महाविद्यालयों में उत्तराखण्ड राज्य में राजकीय महाविद्यालयों के लिए प्रचलित नियमावली के अनुसार प्रकिया अपनायी जायेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम के सेक्शन 5.3 एवं 5.4 तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–6	उप–नियम 6.0 चयन प्रकिया	तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–6	मूल्यांकन मानदण्ड और कार्यविधि उप–नियम–6.1	तदनुसार अंगीकृत किया जाता है बशर्ते राजकीय महाविद्यालय के प्रकरणों में उच्च शिक्षा निदेशालय/शासन स्तरपर प्रकरणो को राज्य सरकार द्वारा प्रचलित नियमों के तहत निष्पादित किया जाय।
नियम–6	उप–नियम–6.2–6.4	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–7	उप–नियम–7.1, 7.2: सम कुलपति (Pro-Vice Chancellor) का चयन	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।

Scanned with CamScanner

नियम–7	उप–नियम–7.3 कुलपति का चयन	कुलपति के चयन प्रकिया को अंगीकृत किया जाय किन्तु चयन समिति एवं सर्च कमेटी का गठन संबंधित विश्वविद्यालयों के तत्सम्यक प्रचलित एक्ट के प्रावधानों के अनुसार होगा।
नियम–8	इतर कार्यार्थ छुट्टी, अध्ययन छुट्टी, सबैटिकल छुट्टी तथा अन्य प्रकार की छुट्टियॉं।	सरकारी राजकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान प्रचलित व्यवस्था के अनुसार होगी।
नियम–9	शोध संवर्धन अनुदान	राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों तथा वितीय संसाधनों के अनुसार दिया जायेगा।
नियम–10	सी.ए.एस.के अन्तर्गत सीधी भर्ती और प्रोन्नति हेतु पिछली सेवाओं की गणना	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तद्नुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–11	परिवीक्षा और स्थायीकरण की अवधि	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तद्नुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–12	शिक्षकों के पदों का सृजन और उनको भरा जाना	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तद्नुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–13	परिशिष्ट आधार पर नियुक्तियॉं	संविदा आधार पर नियुक्ति प्रकिया/मानदेय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है। गैस्ट फैकल्टी को प्रतिवादन रूपये 500/– या समय–समय पर निर्धारित मानदेय दिया जायेगा।
नियम–14	शिक्षण के दिवस	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तद्नुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–14	प्रावकाश उप–नियम–14.2	जैसे कि राज्य सरकार के नियमों में शिक्षकों के लिए समय–समय पर लागू है।
नियम–15	कार्यभार	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तद्नुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–15	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिक्षकों के लिए अनिवार्य उपलब्धता उप–नियम–15.1	प्रतिदिन कम से कम 5 घण्टे तथा सप्ताह में 40 घण्टे की अनिवार्य उपलब्धता होगी।
नियम–16	सेवा करार और वरिष्ठता का निर्धारण	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तद्नुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–17	पेशेवर/प्रोफेशनल आचार संहिता	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तद्नुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–18	उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में मानकों को बनाए रखना	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तद्नुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–18	अनुदान उप–नियम–18.4	इन विनियमों में निर्धारित उपबधों के अनसुार सभी नव–नियुक्त संकाय सदस्यों को मूल शोध/कप्युटेशनल सुविधा स्थापित करने के लिए एक बार राज्य सरकार द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति के अनुरूप शोध अनुदान प्रदान किया जा सकता है।
नियम–19	पीएचडी/एमफिल और अन्य उच्चतर शिक्षा हेतु प्रोत्साहन उप–नियम–19.1	राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार।
नियम–19	पदोन्नति	सरकारी विश्वविद्यालयों में संबंधित

Scanned with CamScanner

	उप–नियम–19.2	विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार तथा अन्य में यूजीसी के विनियम 2018 के अनुसार किन्तु राज्य सरकार के महाविद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार।
नियम–19	वेतन और भत्ते उप–नियम–19.3	भत्तों के संदर्भ में राज्य सरकार अपने नियमों के अनुरूप प्रदान करने की कार्यवाही करेगी।

Scanned with CamScanner

उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0
Uttarakhand Purv Sainik Kalyan Nigam Ltd.
(Undertaking of Uttarakhand Government)
(CIN-U91200UR2004SGC028357)
Andaman Road,Garhi Cantt Dehradun -248003, Ph: 0135-2750913,0135-2750140, Fax: 0135-2754041
Website - www.upnl.co.in, E-mail : agreement@upnl.co.in, info@upnl.co.in

6582 / उपनल

28 फरवरी 2023

सेवा में,

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
नैनबाग, टिहरी गढवाल

विषय : बाह्य स्त्रोत कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु विभागीय अनुबन्ध

महोदय,

1. कृपया आपके पत्रांक 524 / अनुबन्ध / 2022–23 दिनांक 16 फरवरी 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. आपके कार्यालय में बाह्य स्त्रोत पर नियुक्त कर्मियों की बाह्य स्त्रोत अवधि के विस्तार हेतु अनुबन्ध पत्र प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अनुबन्ध के प्रत्येक पृष्ट पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए हस्ताक्षरोपरान्त छायाप्रति अभिलेख हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

महोदय,

Deputy General Manager
Uttarakhand Purv Sainik Kalyan Nigam Ltd.
Dehradun (Uttarakhand)

प्रतिलिपि:–
बीजक अनुभाग – पृष्ठ संख्या 2 (केवल वेतन सारणी)

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	:	**IN-UK34449810719990V**
Certificate Issued Date	:	04-Feb-2023 06:47 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1357004/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK13570047456864038321 8V
Purchased by	:	UPNL DEHRADUN
Description of Document	:	Article Miscellaneous
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	NA
Second Party	:	UPNL DEHRADUN
Stamp Duty Paid By	:	UPNL DEHRADUN
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

Asha

ASHA
e-Stamp Vendor, L.No.-308/2021-22
Tehsil and Distt.-Dehradun.

Please write or type below this line

AGREEMENT NO /2022-23

AGREEMENT FOR DEPLOYMENT OF STAFF ON CONTRACTUAL BASIS BETWEEN PRINCIPAL, GOVT DEGREE COLLEGE NAINBAGH, TEHRI GARHWAL (FIRST PARTY) AND UTTARAKHAND PURV SAINIK KALYAN NIGAM LTD (UPNL) (SECOND PARTY)

General

1. This deed of Agreement is made on **28 Feb 2023** and will remain effect effective from **11 (eleven) months** i.e. from **01 May 2022 to 31 Mar 2023** between **Principal, Govt Degree College Nainbagh, Tehri Garhwal** which terms shall include its successors and assignees of the **First Party** and the **Uttarakhand Purv Sainik Kalyan Nigam Ltd.** hereinafter referred to as UPNL which term shall include its successors and assignees of the **Second Party.**

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.

Manager
Uttarakhand Purv Sainik Kalyan Nigam Ltd.

Strength

2. That UPNL has agreed to provide the following number of workmen, as per details mentioned below for **11 (eleven) months** with effect from **01 May 2022 to 31 Mar 2023.** The **First Party** being a Principal Employer shall post the employees at appropriate locations:-

Ser No	Name of Offices	No of Workmen to be engaged
1.	Office of Principal, Govt Degree College Nainbagh, Tehri Garhwal	Kanisth Sahayak-01, Pustkalaya Lipik-01, Prayogshalaya Sahayak-01, karyala Anusevak-01, Pustkalaya Anusevika-01, Chaukidar/Swachhak-01

Duration of Contract

3 That the Agreement will remain valid for a period of **11 (elcvcn) months** with effect from to **01 May 2022 to 31 Mar 2023** by both parties. If the agreement ls not renewed on time, due to any reason whatsoever, but the services are availed by the First Party, it will be deemed that the agreement has been renewed on the same terms and conditions.

Wages

4. That the monthly wages will be given to employees as per Uttarakhand Govt GO No 735(1)/XVII-5/2020-09(17)/2004-TC-1 dated 21 Aug 2020, or as amended from time to time which are as under:-

क0 सं0	विवरण	कनिष्ठ लिपिक, पुस्तकालय लिपिक	प्रयोगशाला सहायक	कार्यालय अनुसेवक, पुस्तकायल अनुसेविका, चौकीदार/स्वच्छक
1	बेसिक वेतन	10670.00	9610.00	8352.00
2	ग्रेच्यूटी क0सं0 1 का 4.81 प्रतिशत	513.00	462.00	402.00
3	मकान भत्ता क0सं0 1 का 10 प्रतिशत	1067.00	961.00	835.00
4	कपड़ा भत्ता क0सं0 1 का 10 प्रतिशत	1067.00	961.00	835.00
5	बोनस 7000 का 8.33 प्रतिशत	583.00	583.00	583.00
6	कुल योग (क्र0सं0 1 से 5 तक)	13900.00	12577.00	11007.00
7	ई0एस0आई0 क्र0सं0 6 का 3.25 प्रतिशत (मुख्य नियोक्ता का अंशदान)	452.00	409.00	358.00
8	ई0पी0एफ0 क्र0सं0 1 का 13 प्रतिशत (मुख्य नियोक्ता का अंशदान)	1387.00	1249.00	1086.00
9	कुल योग (क्र0सं0 6+7+8)	15739.00	14235.00	12451.00
10	सर्विस चार्ज (क्र0सं0 9 का 2.5 प्रतिशत)	393.00	356.00	311.00
11	योग (कम संख्या 9+10)	16132.00	14591.00	12762.00
12	जी0एस0टी0 (क्र0सं 11 का 18 प्रतिशत)	2904.00	2626.00	2297.00
13	मुख्य नियोक्ता द्वारा कुल देय धनराशि (क्र0सं0 11+12)	19036.00	17217.00	15059.00

Note:

(a) If the rates are revised in between of contract period these will be paybable to employee on the date of its revision. Above wage rates are specified for eight (08) hours only per day and 48 hours per week.

(b) If the basic + VDA of individual is more than 15000/-, the EPF is calculated on Rs 15000/- in such case. At this juncture, a joint request is required from employee and employer to contribution towards EPF as per Para 26(6) of Chapter IV of EPF & MP Act 1952.

(c) Employee who have been a EPF member earlier is mandatory as per EPF rule to continue being its member till his superannuation.

(d) ESI is mandatory for empioyee getting gross salary of Rs 21000/- or less.

(e) A Sum of Rupees 20/- per month will be deducted in respect of Indl who are not the member of ESI/ECHS (Under this scheme employee is entitled for Hospitalisation expenses upto Max of Rupees 30,000/- per Annum).

(f) Motivational Allowance (Protsahan Bhatta) as per Govt of Uttarakhand GO No 1386/XVII-C-1/2021-9(17)2004 टी0सी–2 dated 21 Oct 2021 will be claimed and credited to the individual account on quarterly basis.

(g) **Overtime:-** Above wage rates are specified for eight (08) hours only per day and 48 hours per week. If any individual works more than 48 hrs in a week, he is entitled for over time payment as per para 25(1)(a)/(b) of the Minimum Wages (Central) Rules 1950 vide notification No.-SRO 776 dt 14 Oct 1950.

Deputy General Manager
Uttarakhand Pay Sunak Kalyan Nigam Ltd.

Revision of Wages

5. Wages will be revised from time to time for contractual employees as per State Govt GO/State Labour Commissioner Circulars for other than CPSUs within the State. If the wages are revised by State Govt during the period of agreement these will be payable to the employees with effect from the date of its revision/applicability.

Claiming of Arrear

6. Arrears of pay and allowances will be claimed by the Second Party from the First Party in accordance with the revision of rates as per State Govt circulars as applicable which are based on State Govt directions respectively.

Attendance & Payment of Wages

7. That the **monthly attendance** shall be made available to **Second Party** by the **First Party** duly verified positively **within three days of the succccding month** and payment will be made to **Secoud Party** by the **First Party** within three days of receiving the bill, through an account payee cheque/RTGS drawn in favour of Uttarakhand Purv Sanik Kalyan Nigam Ltd. (UPNL), Dehradun. Thereafter the **Seeond Party** wili ensure payment of wages to the employees within seven days on receipt of payment from the First Party. If the First Party fails to clear the bills/payments for two consecutive months the Second Party will have to right to terminate the contract agreement giving one week notice.

EPF & ESI

8. EPF & ESI deductions (Employer's share and Employee's share) will be made as per the details of wage structure given in the GO. ESI will be deducted only from those contractual employee who are deployed in areas covered by ESI. In areas where ESI is not applicable workmen compensation will be applicable.

9. As per EPF Scheme, 1952 Rule 32A and Rule 31A & 31C of ESI (General) Regulation 1950, penalty for late deposition of contribution is levied. If due to non payment of bills timely by the First Party, any penalty levied due to late payment of bills leading to delay deposition of statutory dues by the Second Party will be whole sole responsibility of First Party and will be duly paid to the Second Party on claim by the First Party.

Goods and Services Tax (GST)

10. The **First Party** will pay to the **Second Party** GST @ 18% or as amended by Central Govt time to time which will be deposited by Second Party to the Govt. Once the invoice/bill has been generated by the Second party, it will be the responsibility of the First Party to clear the invoice and make payment at the earliest to avoid penalties under GST laws which will be recoverable from the First Party, if imposed under the law.

Service Charge

11. Service charge will be applicable as per GO.

Financial Responsibility

121. That all the financlal statutory obligations and responsibilities under the law in force as mentioned from para 2 to para 10 of the above agreement will devolve on the First Party. On receipt of wages from First Party, responsibility of disbursement of pay alongwith allowances after necessary deductions as per law will rest with Second Party. Since the wage includes EPF, ESI and other statutory obligations, it will be the duty and responsibility of the Second Party/UPNL to deposit the same with the Authorities.

Financial Transaction

13. That the **First Party** and its employees will not enter into any kind of financial transaction with the contractual employee of the **Seeoud Party** failing which the **Second Party** wiil own no responsibiiity whatsoever with regard to settlement and reimbursement of such financial transactions.

Deputy General Manager
Uttarakhand Purv Sainik Kalyan Nigam Ltd.
Dehradun (Uttarakhand)

TA/DA

14. If the contractual employee sponsored by Second Party is sent on temporary duty from station to outside by the First Party, First Party will pay TA/DA to employees as per prevalent rules in its organizations on the subject.

Leave

15. All employees will be authorized leave as per Govt of Uttarakhand Order No. 323/XVII-3/13-09(17)/2004 dated 12 Jun 2013 which includes Weekly off (52 days), EL–15 days, CL 12 days and 3 National Holidays.

Maternity Leave

16. Maternity Leave in respect of Femaie employee will be governed as per the Govt of Uttarakhand letter No \ / XXVII(7)34(1)/2009 dated 12 Sep 2016.

Leave Relief (For Security Personnel)

17. Extra contractual employee will be employed by the Principal employer to cater for round the clock/24 hour duties when individuals are availing leave, Leave relief (28.98%) will not be paid in that case. Where no extra contractual employee are employed by the Principal Employer, leave relief @ 28.98% will be paid to the Security personnel.

Loss of Property

18. In case of any loss of property an FIR will be lodged by the **First Party**. A joint inquiry consisting of the representatives of both the parties will be instituted to assess loss, damage, theft, pilferage, and other act of omission or commission or negligence of its employees. Loss ascertained by joint enquiry will be recovered from the personnel responsible for the same.

Joint Verification of Stores

19. Where stores are to be guarded, an initial joint handing/taking over of stores has to be carried out and thereafter a daily joint stock verification procedure will be followed faiiing which the Second Party will bear no responsibilities for any losses, The procedure will be made known to the **Second Party** by the **First Party** in writing. On commencement of the contract an acknowledgement of receipt of instructions wiil be obtained from supervisor/senior guard.

Hours of Duty

20. Hours of duty for the contractual employees will be 8 hours. In no case more than 8 hour duty will be done by the contractual employees of Second Party.

Uniform

21. For guards uniform will be procured by individual guard personnel at their own expense. Only accoutrement articles will be provlded by UPNL to guard's on direct payment.

Termination of Services

22. (a) That the **First party** shall be entitled to evaluate the performance of the contractual employee engaged through UPNL. The data of such contractual employee shall also be provided by UPNL to the **First Party** if the same is required for inspection/verification or for any of the purpose and the **First Party** shall intimate UPNL for demand of such documents of the contractual employee concerned and 15 days time will be provided for providing such documents to First Party.

(b) If the performance of the personnel sponsored by the Second Party is not found suitable by the First party, First Party will have the right to change such employees under intimation to Second Party in writing by giving one month notice to the Second Party.

(c) If services of any employee are not required due to appointment or transfer of regular employee in his place then the First Party will give an intimation of the same with justified reasons to the employees under intimation to the Second Party to terminate his/her services. The attendance should be submitted by the first Party accordingly.

Deputy General Manager
Uttarakhand Pur Sainik Kalyan Nigam Ltd.
Dehradun (Uttarakhand)

No Claim on Permanent Employment

23. Contractual empioyee, employed by UPNL will be contractual basis and will not ciaim permanent employment with the First Party.

Abrogation of the Contract

24. That the Agreement can be abrogated by either party by giving thirty days advance notice.

Expiry of Contract

25. The First Party will intimate to the Second Party about the expiry date of the contract and renewal/termination of the contract at least one months in advance.

Issue of Form V & Registration Certificate

26. The First Party will issue Form V and copy of its Registration with concerned Labour Commissioner immediately on deployment of contractual employ to the Second Party for obtaining Labour License, if the strength of contractual employee's are 20 & above.

Arbitration (Resolution of Dispute)

27. (i) ANY DISPUTE RELATING TO AND ARISING OUT OF THIS AGREEMENT WILL BE REFERRED TO THE ARVITRAL TRIBUNAL, ONE EACH TO BE NOMINATED BY THE PARTIES, AND TWO OF THE NOMINEE ARBITRATOR SHALL APPOINT A PRESIDING ARBITRATOR AND ALL THE THREE ARBITRATORS WILL CONSTITUTE THE ARBITRAL TRIBUNAL. THE PROVISIONS OF THE ARBITRATION AND CONCILIATION ACT 1996 SHALL APPLY TO ALL THE PROCEEDINGS.

(ii) PLACE/VENUE OF SITTING SHALL BE AT DEHRADUN, SUBJECTED TO THE JURISDICTION OF THE HON'BLE HIGH COURT AT NAINITAL, UTTARAKHAND.

(iii) EACH OF THESE ARBITRATOR'S SHALL BE PAID AN AMMOUNT OF RS 1000/-(RUPEES ONE THOUSAND ONLY) PER SITTING, (SHARABLE BY 50% BY EACH PARTIES) AND ON NON ACCEPTANCE THE TRIBUNAL SHALL STAND DISSOLVED.

Legal Judicial

28. That this contract is deemed to have been signed in Dehradun and court of law in Dehradun will have jurisdiction in any suit arising out of any dispute over this contract agreement services rendered there under, payment and damages/compensation arising there form.

29. Any Correspondence made by either party to the another party of the contract shall be on the address as the First and Second Party as under:-

Signature ________ Sumita 13.03.2023 Principal Govt. Degree College Nainbagh (Tehri Garhwal)

On behalf of
Principal, Govt. Degree College
Nainbagh, Tehri Garhwal

Witness 1. (Sandeep Kumar) Asstt. Prof ________

Witness 2. ________

Signature ________ Deputy General Manager Uttarakhand Purv Sainik Kalyan Nigam Ltd. Dehradun (Uttarakhand)

On behalf of
Uttarakhand Purv Sainik Kalyan Nigam Ltd. Andaman Road, Garhi Cantt, Dehradun

Witness 1. ________

Witness 2. ________

अनुबन्ध

मैं श्री चतर सिंह पुत्र श्री तोला राम, पता– उद्पाल्टा, देहरादून, उत्तराखण्ड यह घोषणा करता हूँ कि मैं महाविद्यालय में सत्र 2023-24... हेतु लोक सेवा आयोग से नियमित चयन होने तक अथवा नियमित प्राध्यापक के स्थानान्तरण फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने अथवा 11 माह की अवधि तक अस्थायी व्यवस्थान्तर्गत सम्पादित शिक्षण कार्य किये जाने के आधार पर विनियमितकरण की मांग नहीं करूँगा और न ही लोक सेवा आयोग द्वारा किये जाने वाले चयन हेतु किसी अधिकार का दावा करूँगा। महाविद्यालय के प्राचार्य/संरक्षक द्वारा दिये गये शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों के दायित्वों को पूर्ण करने का वचन देता हूँ एवं ऐसा न करने पर मेरी संविदा समाप्त करने का अधिकार नियोक्ता को होगा।

दिनांक 27.02.2023

01/03/2023
हस्ताक्षर

नाम- श्री-चतर सिंह
पदनाम - (स० प्रा० अंग्रेजी)
पता - ग्राम-उदपल्टा, पो०-सहिया, त०काલसी, जिला-देहरादून (उत्तराखण्ड)
फोन नं0 - 9012659368

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UK36644915171591V
Certificate Issued Date	:	27-Feb-2023 12:27 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1219704/ VIKAS NAGAR/ UK-DH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK121970483190391379228V
Purchased by	:	CHATTAR SINGH
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	AGREEMENT
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	PRINCIPAL OF THE G D C NAINBAG
Second Party	:	CHATTAR SINGH
Stamp Duty Paid By	:	CHATTAR SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

NOTARY UTTARAKHAND
NOTARIAL NOTARIAL

AAKASH KUMAR
E-STAMP VENDER
Tehsil-Vikas Nagar (Dehradun)

Please write or type below this line

NOTARY
Rajendra Singh Rawat
Advocate
Teh.-Vikas Nagar
Distt.- Dehradun
R.No. -55(01)/2022
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

अस्थाई व्यवस्था अन्तर्गत अभ्यर्थी से पूरित कराये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

यह अनुबन्ध पत्र प्राचार्य सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा जिसे प्रथम पक्ष कहा गया है एवं अभ्यर्थी श्री चतर सिंह पुत्र श्री तोला राम, पता– उद्पाल्टा, देहरादून, उत्तराखण्ड को द्वितीय पक्ष कहा गया है, के मध्य निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनुबन्ध किया गया है।

1. यह कि द्वितीय पक्ष को शिक्षा सत्र 2023-24 में लोक सेवा आयोग से नियमित चयन होने अथवा नियमित प्राध्यापक के स्थानान्तरण फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने अथवा 11 माह की अवधि तक जो भी पहले हो हेतु, अस्थायी व्यवस्था अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है।
2. यह कि द्वितीय पक्ष को शिक्षण अवधि में रू0 35,000/– प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रत्येक कार्यदिवस पर महाविद्यालय के अन्य शिक्षकों हेतु निर्धारित अवधि अनुसार महाविद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्ष को सामान्य परिस्थितियों में 11 माह पश्चात दो दिन का टोकन ब्रेक दिया जायेगा।
5. यह कि द्वितीय पक्ष अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत किये गये शिक्षण कार्य के आधार पर नियमित नियुक्ति की मांग नहीं करेगा और न ही उक्त अस्थायी शिक्षण कार्य हेतु रखे जाने से उसका नियमित नियुक्ति के लिए विधिक अधिकार होगा।
6. यह कि द्वितीय पक्ष पर प्रथम पक्ष का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण होगा।
7. यह कि अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन करने एवं महाविद्यालय के हित में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को सौपे गये दायित्वों का निर्वहन न किये जाने पर किसी भी समय इस अनुबन्ध को नियमानुसार समाप्ति का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
8. यह कि इस विषय में उत्पन्न किसी भी विवाद पर उत्तराखण्ड शासन/उच्च शिक्षा निदेशालय का निर्णय अन्तिम होगा।
9. यह अनुबन्ध आज दिनांक 27.02.2023 को स्थान विकासनगर, जिला देहरादून के अन्तर्गत हुआ।

Sumita 01.03.2023

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
(प्राचार्य)
Principal
Govt. ... College
Nai... (Garhwal)

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष
(अस्थायी शिक्षक)

ह0 साक्षी 1. 01.03.23
(Dr. Brish Kumar)

ह0 साक्षी 2. 01.03.2023
(Sandeep Kumar)

Identified by

ATTESTED

(Rajendra Singh Rawat)
ADVOCATE & NOTARY
VIKASNAGAR, Reg.No. 55(01)/20..

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड,

डिग्री सेवा/संविदा/ 7056 /2022–23

हल्द्वानी, नैनीतालः दिनांक 25 जनवरी, 2023

ई–मेल highereducation.director@gmail.com

उत्तराखण्ड राज्य

372

25-01-2023

प्राचार्य

सेवा में,

प्राचार्य,
समस्त राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
उत्तराखण्ड।

विषयः उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत योगदानरत समस्त अस्थायी प्रकृति के शिक्षकों की सेवा शर्तो एवं अन्य सुविधाओं के सन्दर्भ में।

महादेय,

उपरोक्त विषयक निदेशालय के पूर्व पत्रांक डिग्री सेवा/संविदा/6864/2022–23 दिनांक 17 जनवरी, 2023 द्वारा प्रेषित कार्यवृत के क्रम में निम्नवत निर्देश प्रदान किये जाते हैं:–

1. अस्थायी शिक्षकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के दृष्टिगत उन्हें प्रत्येक वर्ष/सत्र की संविदा अवधि में 10 दिनों का "**आकस्मिक अवकाश**" तथा विभागीय हित एवं महाविद्यालय नैक मूल्यांकन आदि में शोध सम्बन्धी गतिविधियों की महत्ता के दृष्टिगत प्रत्येक संविदा वर्ष/सत्र में 12 दिवसों का यात्रा अवधि सहित "**एकेडमिक अवकाश**" अनुमन्य किया जाएगा।
2. शासकीय नियमों में दीर्घावकाशों की देयता उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत कार्यरत मात्र नियमित वैकेशनल कार्मिकों को ही है, तथापि अस्थायी शिक्षकों के सन्दर्भ में व्यवहारिक पक्ष के दृष्टिगत दीर्घावकाश अवधि में महाविद्यालयों में परीक्षा कार्य संचालित न हो रहे हों तो प्राचार्य विवेकानुसार/महाविद्यालय की आवश्यतानुसार अस्थायी शिक्षकों को घर/इच्छित स्थल से ऑनलाइन शिक्षण कार्य हेतु अनुमति प्रदान कर सकेगें। इस अवधि में ऑनलाइन शिक्षण कार्य के दृष्टिगत अस्थायी शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षण का डाटा सुरक्षित कर महाविद्यालय में ससमय प्रस्तुत करना होगा ताकि प्राचार्य द्वारा नियमानुसार वेतन आहरण की कार्यवाही की जा सके।
3. अस्थायी शिक्षकों की संविदा अवधि केवल 11 माह होगी, 11 माह पश्चात 02 दिवसीय टोकन ब्रेक पश्चात अनिवार्य रूप से नियोक्ता (**महाविद्यालय प्राचार्य**) द्वारा नई संविदा शपथपत्र में पूरित करवाई जानी होगी, जिसका अनुमोदित '**प्रारूप एकरूपता' के दृष्टिगत संलग्न कर** प्रेषित किया जा रहा है, संलग्न व अनुमोदित प्रारूप से भिन्न प्रारूप कदापि न हो अन्यथा समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्राचार्य की होगी।
4. अस्थायी शिक्षकों को प्रत्येक कार्यदिवस पर महाविद्यालय में नियमित शिक्षकों की भांति निर्धारित अवधि अनुसार महाविद्यालय में उपस्थित रहना होगा।
5. नियमित शिक्षकों हेतु निर्धारित सेवा निवृत्ति आयु प्राप्त होने के दिनांक पर सम्बन्धित अस्थायी शिक्षक की संविदा स्वतः समाप्त हो जायेगी।
6. उपरोक्त समस्त सेवा शर्ते विभागान्तर्गत योगदानरत समस्त (**प्रातःकालीन/सांध्यकालीन, गैस्ट फैकल्टी, संविदा शिक्षक एवं समस्त नितान्त अस्थायी शिक्षक**) अस्थायी प्रकृति के शिक्षकों पर लागू होगी, यह व्यवस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में योगदानरत शिक्षकों पर लागू नहीं होगी।

भवदीय,

(डॉ0 जगदीश प्रसाद)
प्रभारी निदेशक (उच्च शिक्षा),

अस्थायी व्यवस्था अन्तर्गत अभ्यर्थियों से पूरित कराये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

यह अनुबन्ध प्राचार्य सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा जिसे प्रथम पक्ष कहा गया है एवं अभ्यर्थी.....पुत्र/पुत्री.....पता.....
.....को द्वितीय पक्ष कहा गया है के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुबन्धत किया गया है।

1. यह कि द्वितीय पक्ष को शिक्षा सत्र.....में लोक सेवा आयोग से नियमित चयन होने अथवा नियमित प्राध्यापक के स्थानान्तरण फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने अथवा 11 माह की अवधि तक जो भी पहले हो हेतु, अस्थायी व्यवस्था अर्न्तगत शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है।
2. यह कि द्वितीय पक्ष को शिक्षण अवधि में रू0 35000/– प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रत्येक कार्यदिवस पर महाविद्यालय के अन्य शिक्षकों हेतु निर्धारित अवधि अनुसार महाविद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्ष को सामान्य परिस्थितियों में 11 माह पश्चात दो दिन का टोकन ब्रेक दिया जायेगा।
5. यह कि द्वितीय पक्ष अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत किये गये शिक्षण कार्य के आधार पर नियमित नियुक्ति की मांग नहीं करेगा और न ही उक्त अस्थायी शिक्षण कार्य हेतु रखे जाने से उसका नियमित नियुक्ति के लिए विधिक अधिकार होगा।
6. यह कि द्वितीय पक्ष पर प्रथम पक्ष का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण होगा।
7. यह कि अनुबन्ध की शर्तो का उलंघन करने एवं महाविद्यालय के हित में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को सौपे गये दायित्वों का निर्वहन न किये जाने पर किसी भी समय इस अनुबन्ध को नियमानुसार समाप्ति का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
8. यह कि इस विषय में उत्पन्न किसी भी विवाद पर उत्तराखण्ड शासन/उच्च शिक्षा निदेशालय का निर्णय अन्तिम होगा।
9. यह अनुबन्ध आज दिनांक .....को स्थान.....
के अन्तर्गत हुआ।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
(प्राचार्य)

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष
(अस्थायी शिक्षक)

हस्ताक्षर साक्षी–

1.

2.

अनुबन्ध

मै.....यह घोषणा करता हूँ कि मै महाविद्यालय में सत्र ..... हेतु लोक सेवा आयोग से नियमित चयन होने तक अथवा नियमित प्राध्यापक के स्थानान्तरण फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने अथवा 11 माह की अवधि तक अस्थायी व्यवस्थान्तर्गत सम्पादित शिक्षण कार्य किये जाने के आधार पर विनियमितकरण की मांग नही करूँगा और न ही लोक सेवा आयोग द्वारा किये जाने वाले चयन हेतु किसी अधिकार का दावा करूँगा। महाविद्यालय के प्राचार्य/संरक्षक द्वारा दिये गये शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों के दायित्वों को पूर्ण करने का वचन देता हूँ एवं ऐसा न करने पर मेरी संविदा समाप्त करने का अधिकार नियोक्ता को होगा।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

नाम
पदनाम
पता
फोन न0

ई मेल–degreeseva1@gmail.com

प्रेषक,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा),
राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
उत्तराखण्ड।

पत्रांकः 8318 /डिग्री सेवा–1/एक–29(68/1)/(प्राचार्य निर्देश)/2022–23 दिनाँकः 15 मार्च, 2023

विषयः **प्राध्यापकों के बाल्य देखभाल अवकाश एवं त्यागपत्र के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्राध्यापकों के बाल्य देखभाल अवकाश एवं त्यागपत्र के सम्बन्ध में निम्नवत अवगत कराया जाता है:

1. **बाल्य देखभाल अवकाश (महिला):** कतिपय महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा संगत नियमों का परीक्षण किये बिना प्राध्यापकों को परिवीक्षा अवधि में स्वयं के स्तर से सीधे बाल्य देखभाल अवकाश स्वीकृत किया जा रहा है। सरकारी सेवक महिला के बाल्य देखभाल अवकाश स्वीकृति के सम्बन्ध में **उत्तराखण्ड शासन, वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 11/XXVII(7)34/2011 दिनाँक 30 मई, 2011 तथा उत्तराखण्ड शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 418/XXIV(7)45(4)/2011 दिनाँक 06 जून, 2012 का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है (संलग्नक–1,2)।**

शासनादेश संख्याः 11 दिनाँक 30 मई, 2011 के **प्रस्तर–2(iii)** में स्पष्ट है कि **परिवीक्षा काल में बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य नहीं होगा, विशेष परिस्थितियों में यदि नियुक्ति अधिकारी चाहें तो बाल्य देखभाल अवकाश गुण–दोष के आधार पर कम से कम अवधि का अनुमन्य किये जाने पर विचार कर सकते हैं।**

2. **स्थायी/अस्थायी शिक्षकों के त्यागपत्रः** स्थायी अथवा अस्थायी प्राध्यापकों के त्यागपत्र स्वीकृति का निर्णय शासन (नियोक्ता) स्तर से लिया जाता है।

(क) स्थायी शिक्षकों (परिवीक्षा अवधि उपरान्त) के त्यागपत्रः उत्तरांचाल शासन, कार्मिक अनुभाग–2,की अधिसूचना संख्याः 589/कार्मिक–2/2003–55(38)/2003 दिनाँक 13 मई, 2003 (उत्तराचांचल सरकारी सेवक त्यागपत्र नियमावली, 2003) के प्रस्तर–4(1) के अनुसार कार्मिक को लिखित रूप से तीन माह पूर्व सूचना देकर त्यागपत्र दे सकता है तथा (प्रस्तर–4(2)(दो) के अनुसार कार्मिक का त्यागपत्र नियोक्ता को सम्बोधित होगा **(संलग्नक–3)**।

(ख) अस्थायी शिक्षकों (परिवीक्षा अन्तर्गत) के त्यागपत्रः उत्तर प्रदेश शासन,नियुक्ति अनुभाग–3, के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 43/1/71–नियुक्ति–3 लखनऊ, दिनाँक 14 सितम्बर, 1972 के **प्रस्तर–3 (1) में दी गई व्यवस्थानुसार अस्थायी कर्मचारी की सेवा एक महीने की नोटिस अथवा उसके एवज में वेतन देकर समाप्त की जासकती है। नोटिस में सेवा समाप्ति के कारण का उल्लेख नहीं होना चाहिए (संलग्नक–4) तथा** उत्तरांचल सरकारी सेवक त्यागपत्र नियमावली, 2003 **(प्रस्तर–4(2)(दो)** के अनुसार कार्मिक का त्यागपत्र नियोक्ता को सम्बोधित होगा।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि **समूह 'क' एवं 'ख' संवर्ग के कार्मिकों के दृष्टिगत नियुक्ति अधिकारी, सचिव, उच्च शिक्षा है। समूह–'ग' संवर्ग के नियुक्ति अधिकारी संयुक्त निदेशक तथा समूह–'घ' संवर्ग हेतु महाविद्यालय प्राचार्य हैं।**

अतः समस्त प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि स्थायी/अस्थायी कार्मिकों के बाल्य देखभाल अवकाश (महिला) एवं त्यागपत्र प्रत्यावेदन के क्रम में **प्रस्तर–1** एवं **प्रस्तर–2(क)(ख) में दिये गये निर्देशों के क्रम में भविष्य में** कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नः उक्तवत्।

भवदीय,

(डॉ0 चन्द्र दत्त सूँठा)
प्रभारी निदेशक उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)

Ghani/Coll. Imp./Principal Direction

संलग्नक -1

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या– 11 /xxvii(7)34 / 2011
देहरादून, दिनांक 30 मई,2011

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–राज्य सरकार की सरकारी सेवक महिला को बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति।

राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों को विशिष्ठ परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में सन्तान की 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष(730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) बाल्य देखभाल अवकाश केवल दो बड़े जीवित बच्चों के लिए ही अनुमन्य होगा।

(2) बाल्य देखभाल अवकाश अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकेगा तथा किसी भी परिस्थिति में कोई भी कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति के बाल्य देखभाल अवकाश पर नहीं जा सकेगा।

(3) बाल्य देखभाल अवकाश उपार्जित अवकाश की भांति माना जाएगा और उसी तरह स्वीकृत एवं अवकाश खाता रखा जाएगा।

(4) उपार्जित अवकाश की भांति बाल्य देखभाल अवकाश के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश को बाल्य देखभाल अवकाश में सम्मिलित माना जाएगा।

2– बाल्य देखभाल अवकाश(Child Care Leave) निम्न शर्तों के अधीन अनुमन्य होगा:–

(i) बाल्य देखभाल अवकाश कलैण्डर वर्ष में अधिकतम 3 बार अनुमन्य होगा।

(ii) बाल्य देखभाल अवकाश 15 दिन से कम अनुमन्य नहीं होगा।

(iii) परिवीक्षा काल में बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य नहीं होगा, विशेष परिस्थितियों में यदि नियुक्ति अधिकारी चाहें तो बाल्य देखभाल अवकाश गुण–दोष के आधार पर कम से कम अवधि का अनुमन्य किये जाने पर विचार कर सकतें हैं।

उक्त व्यवस्था विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं की महिला शिक्षकों(UGC,CSIR एवं ICAR से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर महिला कर्मचारियों पर भी लागू होगी।

3– उक्त व्यवस्था दिनांक 01 मई,2011 से प्रभावी होगी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त

संलग्नक-2

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–7
संख्या– 418 / XXIV(7) 45(4) / 2011
देहरादून : दिनांक 06 मई, 2012
कार्यालय–ज्ञाप

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन, 2010 के प्रस्तर 8.4.9 में महिला शिक्षकों के लिए बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था की गयी है "Women teachers having minor children may be granted leave up to two years for taking care of their minor children. Child care leave for a maximum period of two years (730 days) may be granted to the women teachers during entire service period in lines with Central Government women employees. In the cases, where the child care leave is granted more than 45 days, the University/College/Institution may appoint a part time/guest substitute teacher with intimation to the UGC.

2– अतः उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राज्य के विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित महिला शिक्षकों को यू0जी0सी0 के दिशा निर्देशों के आधार पर विशिष्ट परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में सन्तान की 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो (02) वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश की अनुमन्यता राज्य सरकार की सरकारी महिला सेवक हेतु वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–11 / XXVII(7)34 / 2011 दिनांक 30 मई 2011 में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– यदि किसी महिला शिक्षक को 45 दिन से अधिक का अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा आवश्यकता होने पर मात्र शिक्षण कार्य के लिए यू0जी0सी0 दिशा–निर्देशानुसार अंशकालिक व्यवस्था की जायेगी, जिससे मात्र शिक्षण कार्य ही कराया जायेगा। परीक्षा एवं अन्य शिक्षणेत्तर कियाकलापों के सम्बन्ध में उसे योजित नहीं किया जायेगा।

4– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन, 2010 द्वारा अवकाश के सम्बन्ध में की गई व्यवस्था उक्त सीमा तक प्रभावी होगी।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–19 दिनांक 29.05.2012 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(निधीशा मनराल)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या — 41/XXIV(7)/45(4)/2011 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, उत्तराखण्ड।
3. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्तानुसार नियमों के अन्तर्गत संगत परिनियमावली में तदनुरूप संशोधन/प्राविधान करने का कष्ट करें।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. उप निदेशक, उच्च शिक्षा शिविर कार्यालय देहरादून।
7. वित्त अधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वेदीराम),
अनु सचिव।

संलग्नक-3

उत्तरांचल शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 589/कार्मिक–2/2003–55 (38)/2003

देहरादून, 13 मई, 2003

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तरांचल सरकारी सेवक त्याग–पत्र नियमावली, 2003

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली "उत्तरांचल सरकारी सेवक त्याग–पत्र नियमावली, 2003" कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2. यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाई गई किसी अन्य नियमावली या इस निमित्त जारी किये गये कार्यपालक आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगी।

परिभाषायें

3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में पद–

(क) किसी सेवा के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन ऐसी सेवा में नियुक्तियाँ करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;

(ख) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(ग) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है;

(घ) "सरकारी सेवक" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(ङ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;

(च) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो, और उस सेवा से संबंधित सेवा नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो।

त्याग–पत्र की सूचना

4. (1) कोई सरकारी सेवक लिखित रूप से तीन मास की सूचना देकर अपनी सेवा से त्याग–पत्र दे सकता है।

(2) त्याग–पत्र की सूचना–

(एक) स्वैच्छिक और बिना शर्त होगी;

(दो) प्राधिकारी जिसके अधीन उक्त सरकारी सेवक त्याग–पत्र देने के समय कार्य कर रहा हो, को सूचित करते हुए नियुक्ति प्राधिकारी को संबोधित की जायेगी :

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी सरकारी सेवक को बिना किसी सूचना या किसी अल्पतर सूचना के त्याग–पत्र की अनुमति देने के लिए स्वतन्त्र होगा।

त्याग–पत्र का स्वीकार या अस्वीकार किया जाना

5. (1) सरकारी सेवक का त्याग–पत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि इसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है और उसके औपचारिक आदेश जारी नहीं किये जाते हैं। नियुक्ति प्राधिकारी स्वविवेकानुसार त्याग–पत्र स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है यदि–

(एक) सरकारी सेवक सरकार के प्रति किसी धनराशि का देयता हो और/या कोई अन्य दायित्व हो तो जब तक कि देय धनराशि का भुगतान न कर [illegible] का निर्वहन न किया गया हो।

या

(दो) सरकारी कर्मचारी निलम्बित हो।

या

(तीन) उसके विरुद्ध कोई जांच संकल्पित या लम्बित हो।

या

(चार) अपराधिक आरोप से सम्बन्धित अन्वेषण, जाँच या परीक्षण लम्बित हो और [illegible] सरकारी सेवक के रूप में उसकी शासकीय स्थिति से सम्बन्धित हो।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी यथासम्भव सूचना की अवधि के अवसान के पूर्व त्याग–पत्र [illegible] विनिश्चय करेगा।

सेवा समाप्ति

6. उक्त सरकारी सेवक की सेवायें उसके त्याग–पत्र स्वीकृति के आदेश के जारी होने के दिनांक से या ऐसे भविष्यवर्ती दिनांक से जैसा उसमें उल्लिखित किया जाय, समाप्त हो जायेंगी।

त्याग–पत्र का वापस लेना

7. सरकारी सेवक नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में एक निवेदन प्राप्त कराकर इस नियमावली के नियम 6 में यथा–उपबन्धित अपनी सेवाओं की समाप्ति के दिनांक के पूर्व [illegible] त्याग–पत्र वापस ले सकता है।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 589/Karmik--2/2003--55 (38)/2003, dated May 13, 2003 for general information :

No. 589/Karmik--2/2003--55(38)/2003
Dated Dehradun, May 13, 2003

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules :--

THE UTTARANCHAL GOVERNMENT SERVANTS RESIGNATION RULES, 2003

Short title and commencement

1. (1) The rules may be called "The Uttaranchal Government Servants Resignation Rules, 2003".

(2) They shall come into force at once.

Overriding effect

2. These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules made by the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitu-

5- समस्त मितव्ययिता [illegible], उत्तर प्रदेश।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त प्रत्युत्तरदायी अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लोक सेवा अधिकरण।

आज्ञा से,
ज्ञान प्रकाश,
अनु सचिव।

प्रतिलिपि
उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या 43/1/71-नियुक्ति-3
लखनऊ, दिनांक 14 सितम्बर, 1972

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :- अस्थायी सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं की समाप्ति के कारण का उल्लेख किया जाना।

निम्न हस्ताक्षरकर्ता को यह कहने का निदेश हुआ है कि नियुक्ति (ख) विभाग की विज्ञप्ति संख्या 130/2-बी-1953, दिनांक 30 जनवरी, 1953 द्वारा प्रख्यापित सामान्य नियम या नियुक्ति आदेश में दी गई शर्तों के अनुसार किसी अस्थायी सरकारी कर्मचारी की सेवायें समाप्त की जा सकती हैं, परन्तु सेवा समाप्ति के आदेश में किसी कारण का उल्लेख नहीं होना चाहिए। साधारणतया सेवा समाप्ति के दो कारण होते हैं-(1) अधिष्ठान में कमी अथवा/और (2) किसी अस्थायी सरकारी कर्मचारी के कार्य तथा आचरण का असंतोषजनक होना। अधिष्ठान में कमी के कारण किसी अस्थायी कर्मचारी की सेवा समाप्त किये जाने का सामान्य सिद्धांत "अन्तिम आगमन प्रथम बहिर्गमन (Last come first go)" है और ऐसे मामलों में इसी सिद्धान्त का अनुपालन होना चाहिये। इस सिद्धांत का अनुपालन उस दशा में आवश्यक नहीं है जब कि सेवा समाप्ति कर्मचारी के असंतोषजनक कार्य तथा आचरण के कारण की जाय। इस विषय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने गोपाल प्रसाद सिंह (1968, ए० डब्लू० आर०, 735) में निम्नलिखित निर्णय दिया था :-

"In our view the termination of services of a temporary employee or reversion of an officiating employee from a higher post to his lower substantive post, while retaining his juniors in service or in the higher post, as the case may be, would be hit by Article 16 only where such termination or reversion is necessitated by exigencies of service, e.g., retrenchment following abolition of posts, availability of permanent incumbents for appointment to the posts on their return from deputation or leave. There would be no infringement of Article 16 if the services of a temporary employee are terminated or if an officiating employee in a higher post is reverted to his lower substantive post for other reasons, e.g. on the ground of misconduct, inefficiency or unsuitability."

2- शासन की जानकारी में एक ऐसा मामला आया है कि जिसमें अस्थायी सरकारी कर्मचारी की सेवायें, कार्य तथा आचरण के असंतोषजनक होने के कारण समाप्त की गई थी और उस कर्मचारी ने इस आधार पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी कि उससे कनिष्ठ कर्मचारियों को सेवा में रखे रखा गया, जिससे संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन हुआ। यह मामला बाद तथा [illegible] के समान [illegible] था, जिसमें भी [illegible] के आधार को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने दिनांक 23 अक्टूबर, 1969 को निम्नलिखित निर्णय दिया :-

"There is not a whisper about any administrative exigency compelling the respondents to terminate the petitioner's services while retaining that of his juniors. The petitioner has not been classified on any tangible ground as belonging to a class different than those whose services have not been terminated. It has not been suggested that the petitioner's performance was not as good or as satisfactory as that of his juniors. No facts have been given in the counter affidavit to indicate the real reason for which the petitioner's services were terminated ———All this would show that no particular principle was adopted by the respondents while deciding as to which temporary servant's services should be terminated. No reasons have been given to show the circumstances under which the respondents were compelled to terminate the services of the petitioner and retain three others who were appointed after him and were junior to him.

In other circumstances obtaining in this case I would be inclined to agree with the submission that the impugned order violates the guarantee of equality of opportunity guaranteed under Article 16 (i) read with Article 14 of the Constitution.

3- उपरोक्त उद्धरण से यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने भी उपरोक्त कानून के पक्ष में इसलिए फैसला दिया था कि प्रति-शपथ-पत्र (काउन्टर एफिडेविट) में भी कानून की सेवायें समाप्त किये जाने के कारण का उल्लेख नहीं किया गया था। इस फैसले में अस्थायी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के बारे में शासन ने यह निर्णय लिया है कि:-

(1) अस्थायी कर्मचारी की सेवा एक महीने की नोटिस अथवा उसके एवज में वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नोटिस में सेवा समाप्ति के कारण का उल्लेख नहीं किया जायेगा।

(2) अधिष्ठान में कमी होने के कारण यदि किसी विभाग में कर्मचारियों की छंटनी की जाए तो ऐसी दशा में अन्तिम आगमन प्रथम बहिर्गमन (लास्ट कम फर्स्ट गो) का सिद्धांत अपनाया जाये।

(3) यदि किसी अस्थायी कर्मचारी की सेवायें अधिष्ठान में कमी होने के कारण समाप्त न की जाय अथवा नं० (2) में उल्लिखित सिद्धांत का अनुपालन सम्भव न हो सके और किसी ज्येष्ठ कर्मचारी को उसके असन्तोषजनक कार्य तथा आचरण के कारण से हटाना आवश्यक हो तो नियमानुसार उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। ऐसे कर्मचारी को जो नोटिस दी जाय, उसमें भी सेवा समाप्ति का कारण न बताया जाय।

(4) यदि नं० (3) में वर्णित कर्मचारी [illegible] कोई सेवा कर्मचारी जिसकी सेवायें असंतोषजनक कार्य तथा आचरण इत्यादि के कारण समाप्त की गई हों, अपनी सेवा समाप्ति के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दायर करे अथवा [illegible] में प्रस्तुत करे तो [illegible] प्रतिशपथ-पत्र (काउन्टर एफिडेविट) में सेवा समाप्ति के कारणों का [illegible] इस बात पर [illegible] कि वे समाप्ति के लिए आधार (Basis) नहीं हैं, [illegible] दिये जाएं।

4- आपसे अनुरोध है कि भविष्य में ऐसे मामलों में उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

[illegible] कुमार [illegible],
सचिव।

सेवा में,
परिपत्रक के प्रसार अनुसार